Dr. Vandana Suman
Professor
Dept. - of Philosophy
H. D. Jain College, Ara

UG - Sem - IV - MJC - 07

Basic Concepts of Philosophy

"Anuman Praman"

(अनुमान प्रमाण)

अनुमान का शब्दार्थ होता है पश्चाद्ज्ञान। एक बात से दूसरी बात को देख लेना (अनु + ईक्षा) अथवा एक बात को जान लेने के बाद उसी के द्वारा दूसरी बात को जान लेना (अनुमितिकरण) 'अनुमान' कहलाता है। धूम को देखकर अग्नि के होने का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पश्चाद्ज्ञान है। प्रत्यक्ष वस्तु धूम के आधार पर अप्रत्यक्ष वस्तु अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेना 'अनुमान प्रमाण' का विषय है।

अनुमान के साधन — गौतम के अनुमान खण्ड पर विचार करने से पूर्व इसके अवयवों को जान लेना आवश्यक है। अनुमान के ये साधन हैं: लिंग, लिंगी, साध्य, साधन (हेतु), पक्ष, व्याप्ति, व्याप्य, व्यापक, पक्षधर्मता, परामर्श और अनुमिति।

लिंग : लिंगी 'लिंग' कहते हैं चिह्न या निशान को, और यह चिह्न या निशान जिससे दूसरी वस्तु का परिचायक होता है उसे कहते हैं 'लिंगी'। धूम लिंग है और अग्नि लिंगी है, क्योंकि। जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, इस वाक्य में अग्नि का परिचायक हुआ धूम और धूम से हमें जिस वस्तु के अस्तित्व का परिचय मिल रहा है वह है अग्नि।

साध्य : साधन : पक्ष

अनुमान के द्वारा हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उसे 'साध्य' कहते हैं और जिस लक्षण के आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता है उसे कहते हैं 'साधन' (हेतु)। जिस स्थान पर साध्य और साधन का होना पाया जाता है उसे कहते हैं 'पक्ष'। अग्नि साध्य हुआ, धूम साधन और पर्वत पक्ष।

व्याप्ति : व्याप्य : व्यापक

धूम के साथ अग्नि का नित्य सम्बन्ध पाया जाता है। इसी लिए तो कहा जाता है 'जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है।' धूम और अग्नि के इसी नित्य साहचर्य को 'व्याप्ति' कहते हैं। ~~इस व्याप्ति ज्ञान पर आगे प्रकाश डाला जाता है।~~ आग व्यापक है और धूम व्याप्य।

18 SUNDAY

पक्षधर्मता —

पक्ष (स्थान = पर्वत) पर धर्म (लिंग = धूम) का पाया जाना ही 'पक्षधर्मता' कहलाती है। यदि पर्वत पर धूम का होना नहीं पाया जाता, तो वहाँ अनुमान के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है।

परामर्श - परामर्श कहते हैं विशिष्ट ज्ञान को। पक्षधर्मता (पर्वत और धूम) तथा व्याप्ति (धूम और आग) इन दोनों के सम्मिलित ज्ञान से जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही 'परामर्श' कहते हैं (व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मता-ज्ञानं परामर्शः)।

अनुमिति - परामर्श के द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे 'अनुमिति' कहते हैं (परामर्शजन्यं ज्ञानं अनुमितिः)। 'पर्वत पर आग है' यह परामर्श ज्ञान हुआ। अनुमान प्रमाण का यही अन्तिम फल है।

अनुमान के पाँच अवयव -

गौतम के अनुसार अनुमान के पाँच अवयव या अंग होते हैं, जिनके नाम हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इस पंचावयव-युक्त अनुमान को ही 'पंचावयववाक्य' या 'न्यायप्रयोग' कहते हैं।

(1) प्रतिज्ञा : प्रतिपाद्य विषय को उपस्थित करना ही 'प्रतिज्ञा' कहलाती है, जैसे 'पर्वत पर आग है' ऐसा कहकर पर्वत पर आग को सिद्ध किया गया है।

(2) हेतु : प्रतिज्ञा को प्रमाणित करने के लिए जिन युक्तियों (साधनों) का आश्रय लिया जाता है उन्हें 'हेतु' कहते हैं।

(3) उदाहरण : प्रतिपाद्य (प्रतिज्ञा) के समान कोई दूसरा दृष्टान्त देना ही 'उदाहरण' कहलाता है। किन्तु इस दृष्टान्त में हेतु और साध्य का व्याप्ति-सम्बन्ध होना आवश्यक है। इसीलिए बाद के नैयायिकों को कहना पड़ा 'व्याप्तिप्रतिपादकं उदाहरणम्', जैसे 'जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ अग्नि है, जैसे - 'रसोईघर', इस वाक्य के 'रसोईघर' के उदाहरण में हेतु और साध्य का व्याप्ति सम्बन्ध भी है।

(4) उपनय : 'उपनय' शब्द का अर्थ है अपने निकट ले आना या उपसंहार करना। प्रतिपाद्य विषय को अपने पक्ष में ले आने के लिए हम कहेंगे 'पर्वत में भी वही अग्निव्याप्य धूम विद्यमान है'।

(5) निगमन : प्रतिपाद्य (प्रतिज्ञा वाक्य) जब साध्य कोटि (असिद्ध स्थिति) से हेतु के द्वारा सिद्ध कोटि में आ जाता है तब उसे 'निगमन' कहा जाता है। अब हम 'अतः पर्वत में धूम है' इस वाक्य को प्रतिज्ञा न कहकर 'निगमन' कहेंगे।

इस पंचावयव का स्वरूप इसप्रकार समझा जा सकता है :

1. पर्वत में अग्नि है : प्रतिज्ञा
2. क्योंकि वहाँ धूम है : हेतु
3. जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है जैसे रसोई घर : उदाहरण
4. पर्वत में भी इसीप्रकार का धूम है : उपनय।
5. इसलिए पर्वत में भी अग्नि है : निगमन

व्याप्ति का सिद्धान्त

न्याय दर्शन के क्षेत्र में 'व्याप्ति' का बड़ा महत्व माना गया है दो वस्तुओं के नियत साहचर्य (सर्वदा एक साथ रहने) को ही 'व्याप्ति' कहते हैं। जहाँ दो सहचर वस्तुओं की अनियमिति (सर्वदा एक साथ न रहना) हो वहाँ 'व्यभिचार' कहा जाता है। जैसे - धूम और अग्नि का नियत साहचर्य है किन्तु जल और मछली दोनों वस्तुओं का सहचर - सम्बन्ध होने पर भी दोनों का एक दूसरे के बिना रहना भी पाया जाता है। इसलिए जल और मछली का व्यभिचरित (अनियमित) सम्बन्ध है। किन्तु धूम और अग्नि का अव्यभिचरित (नियत) सम्बन्ध है। इसी नियत - सम्बन्ध को 'व्याप्ति' कहते हैं। इसी के अपर नाम 'एकान्तिकभाव' (एक का दूसरे के आश्रित) तथा 'अविनाभाव' (एक वस्तु का दूसरी वस्तु के

(अभाव में न रहना) भी है।

(अनुमान के भेद)

प्राचीन न्याय के अनुसार —
गौतम के 'न्यायसूत्र' के अनुसार अनुमान-प्रमाण के तीन प्रकार होते हैं: पूर्ववत, शेषवत, और सामान्यतोदृष्ट। अनुमान के ये भेद व्याप्ति भेद के अनुसार है। संक्षेप में कहा जाय तो पूर्ववत तथा शेषवत् अनुमान कार्य-कारण के नियत सम्बन्ध के द्वारा होते हैं, जब कि सामान्यतोदृष्ट में कार्य-कारण की आवश्यकता नहीं होती है।

(1) पूर्ववत : पूर्ववत् अनुमान उसे कहते हैं, जिसमें भविष्यत् कार्य का अनुमान वर्तमान कारण से होता है। न्याय में अव्यवहित पूर्ववर्ती घटना को 'कारण' कहते हैं और कारण के नित्य अव्यवहित परवर्ती घटना को 'कार्य' कहते हैं। जैसे मेघ को जल से भरा हुआ देखकर 'बारीश होगी' यह अनुमान 'शेषवत्' कहा जाता है।

(2) शेषवत : 'शेष' कहते 'कार्य' के लिए। जिसमें वर्तमान कार्य से विगत कारण का अनुमान किया जाता है जैसे

'शेषवत्' कहते हैं। जैसे नदी की बढ़ती तथा वेगवती धारा को देखकर 'कहीं बारीश हुई है', यह अनुमान करना।

इन दोनों अनुमान - भेदों में साधन - साध्य के बीच कारण - कार्य तथा कार्य - कारण का सम्बन्ध दिखाया गया है।

(3) सामान्यतोदृष्ट :

किसी वस्तु के साधारण रूप को देखकर उसके आधार पर हम वस्तु के परोक्ष रूप का जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसको 'सामान्यतोदृष्ट' अनुमान कहते हैं। जैसे सूर्य को प्रातःकाल पूर्व दिशा में देखने के पश्चात् सायंकाल को पुनः पश्चिम दिशा में देखकर यह अनुमान किया जाता है कि 'सूर्य गतिशील है'। यद्यपि सूर्य की गति को हम प्रत्यक्ष नहीं देखते, किन्तु उसके स्थान - परिवर्तन से यह अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें गति है। इसी को 'सामान्यतोदृष्ट' अनुमान कहा गया है।

नव्य न्याय के अनुसार — नव्य न्याय के अनुसार अनुमान के तीन प्रभेद माने गये हैं : केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी। अनुमान के

इन तीनों प्रयोगों की परिभाषाओं
समझने से पूर्व इनमें प्रयुक्त पारिभाषिक
शब्दों का अर्थ समझ लेना आवश्यक है।
'अन्वय' का अर्थ होता है
साथ (साहचर्य) और 'व्यतिरेक' का
अर्थ होता है साहचर्याभाव या
अविनाभाव (एक वस्तु का दूसरी
वस्तु के अभाव में न रहना)। जहाँ
आग है वहाँ धूम है। यह हुआ
'अन्वय' का उदाहरण
इसी प्रकार 'पक्ष', 'सपक्ष'
और विपक्ष' के सम्बन्ध में भी
जान लेना आवश्यक है। 'पक्ष'
उसको कहते हैं जिसमें साध्य का
होना पहले से निश्चित न हो। जैसे
'पर्वत' में अग्नि है, इस उदाहरण
में पर्वत 'पक्ष' में अग्नि 'साध्य'
का होना पहले से निश्चित नहीं
जैसे 'पर्वत में अग्नि है' इस उदाहरण

में पर्वत 'पक्ष' में अग्नि 'साध्य'
का होना पहले से निश्चित नहीं था।
इसी साध्य (अग्नि) के अस्तित्व
को सिद्ध करने के लिए अनुमान
प्रमाण की आवश्यकता हुई है।
इसी प्रकार जिस वस्तु में साध्य
का होना निश्चित रूप से ज्ञात
हो उसे 'सपक्ष' कहते हैं
जैसे - रसोईघर में आग का

रहना निश्चित ज्ञात है जिस वस्तु में साध्य का न होना (अभाव) निश्चित रूप से ज्ञात है उसे 'विपक्ष' कहते हैं, जैसे यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि पानी में आग नहीं होती।

1. केवलान्वयी: जिसकी व्याप्ति केवल अन्वय के द्वारा स्थापित हो और जिसमें व्यतिरेक का सर्वथा अभाव हो वह 'केवलान्वयी' अनुमान कहलाता है। इस अनुमान में हेतु और विधेय के बीच व्याप्ति संबंध होता है। घट, पट आदि सभी वस्तुएँ इसका उदाहरण हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका नाम न लिया जा सके। सभी वस्तुएँ ज्ञातव्य (प्रमेय) भी हैं और इनके नाम भी लिए जा सकते (अभिधेय) हैं। 'जो अभिधेय नहीं हैं वे अज्ञेय हैं', ऐसा दृष्टान्त नहीं मिल सकता है।

(2) केवल व्यतिरेकी: जिसमें साध्य के अभाव के साथ-साथ साधन के अभाव का व्याप्ति ज्ञान से अनुमान होता है, साधन और साध्य की अन्वयमूलक व्याप्ति से नहीं, वह 'केवल व्यतिरेकी' अनुमान कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जहाँ केवल व्यतिरेक का दृष्टान्त पाया जाय अन्वय का नहीं, जैसे 'जो-जो आत्मावान् नहीं हैं, वे वे

चैतन्यवान् ही नहीं है, अथवा जड़ पदार्थ, इस वाक्य में साधन 'चैतन्य' का पक्ष 'आत्मा' के बिना कहीं भी देखना-सुनना संभव नहीं है।

(3.) अन्वय व्यतिरेकी: जिसमें अन्वय 'सपक्ष' और व्यतिरेक 'विपक्ष' दोनों के दृष्टान्त देखने को मिलें। उसमें व्याप्ति का ज्ञान 'अन्वय और व्यतिरेक' दोनों की सामूहिक प्रणाली पर निर्भर होता है जैसे: (1) सभी धूमवान पदार्थ वह्निमान है, पर्वत धूमवान है; अतः पर्वत वह्निमान है। (2) सभी वह्निहीन पदार्थ धूमहीन है, पर्वत धूमवान है; अतः पर्वत वह्निमान है।